न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई.
2. प्रकरण संख्या : 04/2022
3. उनवान : सत्यनारायण सिंह रोहर पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी ढ़ाणी चारणान किशनपुरा, ग्राम पंचायत हरसोली, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नं0 ई–24, रूप विहार न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला जयपुर राज0।

निगरानीकार

बनाम

1. जगदीश सिंह पुत्र लाखू सिंह चारण निवासी बारेठो की ढ़ाणी, हरसोली तहसील व पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर राज0।

2. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत हरसोली, पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल व जिला जयपुर।

3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हरसोली, हाल पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

विपक्षी/गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 06-11-2024
5. अधिवक्तागणों का नाम :अ) अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार जैन निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मदनलाल कुडी एवं गोपाल लाल बाना गैर निगरानीकारान की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994 व 1996

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी नं0 1 ने ग्राम पंचायत हरसोली के सरपंच से मिली भगत करके अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 आदेश दिनांक 06.02.2013 से 722.11 वर्गगज का पट्टा ग्राम हरसोली में हासिल कर लिया जिसकी सीमाएं में उत्तर में किशनदास का मकान, दक्षिण में मुकन्दान, रूपदान का मकान, पूर्व में स्वंय की कब्जे की भूमि तथा पश्चिम में 19 फीट स्वयं की भूमि बाद में आम चौक की भूमि बतायी गई है। वास्तव में मौके अनुसार इस प्रकार की स्थिति नहीं है। पश्चिम में 19 फीट की जो भूमि स्वयं की बतायी गई है, वह आमवासी के उपयोग उपभोग के चौक की भूमि हैं, जिसमें प्रार्थी निगरानीकार का अर्से दराज से मकान में आने जाने के लिए गेट बना हुआ है। इसी चौक में होकर प्रार्थी अपने गेट के जरिये मकानात में आता जाता है। 19 फीट स्वंय की भूमि अपनी गलत बताकर सार्वजनिक चौक की भूमि का पट्टा 722.11 वर्गगज का ग्राम पंचायत हरसोली से गलत रिपोर्ट निरीक्षण के आधार पर हासिल कर लिया। पटवारी हल्का ने भी मौके की गलत रिपोर्ट की है। इस पट्टे की आड में विपक्षी नं0 1 ने दिनांक 08.02.2022 को प्रार्थी के मकानात का गेट पट्टी लगाकर बंद कर दिया, जिसकी शिकायत पुलिस में करने पर विपक्षी नं0 1 ने 722.11 वर्गगज का पट्टा सन् 2013 में बनवा लिया। दिनांक 11.03.2022 के पत्र द्वारा ग्राम पंचायत हरसोली के विकास अधिकारी ने यह कह कर नकल नही दी कि तीसरे पक्षकार को नकल दिये जाने का प्रावधान नही है। निर्णय पारित करने से पूर्व न पब्लिक नोटिस निकाला गया, न मौका निरीक्षण वास्तव में कराया गया, न आपत्तियां मांगी गयी, न मौके पर स्थित मकानात व गेट आदि का ध्यान रखा गया। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत हरसोली ने अपने

निर्णय में राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 140, 145, 146, 147, 148, 157 (2) इत्यादि की पालना नही की।

अन्त में निवेदन किया गया है कि बमंजूरे निगरानी निगरानीकार निर्णय अधिनस्थ ग्राम पंचायत हरसोली जिला जयपुर दिनांक 06.02.2013 प्रस्ताव संख्या 1 निरस्त कर जारी पट्टे को भी निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये। गैर निगरानीकारान की ओर से अधिवक्ता मदनलाल कूडी एवं गोपाल लाल बाना उपस्थित हुए।

अपील के संलग्न प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम में अंकित किया गया है कि अवैधानिक रूप से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 आदेश दिनांक 06/02/2013 से अप्रार्थी नं0 1 ने 722.11 वर्गगज का पट्टा ग्राम हरसोली में हासिल कर लिया। इस पट्टे की आड में विपक्षी नं0 1 ने दिनांक 08.02.2022 को प्रार्थी के मकानात का गेट पटी लगाकर बंद कर दिया जिसकी शिकायत पुलिस में करने पर जांच के दौरान पुलिस को विपक्षी नंबर 1 ने 722.11 वर्गगज का पट्टा उक्त भूमि में सम्मिलित करते हुये होना बताया। प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि विपक्षी नं0 1 ने सन 2013 में ही पट्टा जारी करवा लिया। जिसकी आर.टी.आई में नकल हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत हरसोली ने तीसरे पक्षकार को नकल दिये जाने का प्रावधान नहीं होने का अंकन कर नकल प्रदान नहीं की। लेकिन पत्रावली की नकल दे दी गई। तत्पश्चात अविलम्ब न्यायालय में निगरानी पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र स्वीकार कर निगरानी पेश करने में हुई देरी को न्यायहित में माफ कर निगरानी को अंदर अवधि शुमार करने का निवेदन किया गया है।

अपीलाधीन अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र स्थगन, निगरानीधीन प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया।

गैर निगरानीकार संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब निगरानी प्रस्तुत किया जिसमे अंकित किया है कि उक्त पट्टे की जगह पर आजादी से पूर्व का पुख्ता मकान जो 500 वर्गगज से भी अधिक क्षेत्रफल में बना हुआ है तथा सामने चौक व्यक्तिगत कब्जे उपयोग उपभोग का है कभी भी सार्वजनिक चौक नहीं रहा हैं। विधि अनुरूप पट्टा जारी किया हैं। चूंकि कभी उत्तरदाता के मकान के सामने का चौक सार्वजनिक चौक नही रहा ना ही कभी किसी दीगर व्यक्ति/निगरानीकार का कोई गेट उत्तरदाता के चौक में खुलता हैं। चूंकि प्रार्थी का पुख्ता मकानात 500 वर्गगज से अधिक व 200 वर्गगज से अधिक मय बाउण्ड्रीवाल चौक मकान के सामने को शामिल कर उक्त पट्टा कुल क्षेत्रफल 722.11 वर्गगज विधि अनुरूप जारी किया गया हैं। कभी भी उत्तरदाता के मकान व चौक में निगरानीकार व अन्य किसी दीगर व्यक्ति का गेट अथवा कोई खिडकी आदि नहीं खुलते हैं। उक्त पट्टाशुदा जमीन मात्र केवल उत्तरदाता के पूर्वजों से काबिज स्वामित्व के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही हैं। उत्तरदाता की भूमि को हडपने की नियत से सार्वजनिक चौक की भूमि बताकर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से जिसके मकान का कोई गेट, झरोखा, प्रवेश का मार्ग आदि का संबंध उत्तरदाता के चौक अथवा मकान से नहीं रहा। दिनांक 9/12/2021 को उक्त निगरानीकार ने जबरिया उत्तरदाता के कब्जेशुदा पट्टेशुदा चौक में बंदनियती पूर्वक उत्तरदाता की अनुपस्थिति में बाउण्ड्री तोडकर गेट निकालने की कोशिश की गई जिस पर पुलिस को भी अवगत करवाया गया व निगरानीकार को पाबन्द किया गया के बावजूद मिथ्या तथ्य उल्लेखित कर उक्त निगरानी अदालत हाजा में प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि निगरानीकार का कोई संबंध व सरोकार उक्त निगरानीधीन पट्टे के मकान व चौक से नही रहा तथा ना ही किसी प्रकार का कोई हित उत्तरदाता की भूमि व मकान से कभी नही रहा, ऐसी स्थिति में बिना हितबद्ध व्यक्ति के उक्त निगरानी धारा 97 के तहत क्षेत्राधिकार बाहर प्रस्तुत की गई है। उक्त निगरानीधीन पट्टे से निगरानीकार यदि व्यथित व्यक्ति था तो पंचायत राज की धारा 61 के तहत सक्षम न्यायालय पंचायत समिति में अपील करने का क्षेत्राधिकार था। उक्त निगरानीधीन आदेश की जानकारी निगरानीकार को शुरू से रही हैं। मात्र गैर निगरानीकार को हैरान परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी जानबूझकर मिथ्या व झूठे तथ्यों पर तथा गैर निगरानीकार के पट्टेशुदा

भूखण्ड के चौक में बिना वजह आवागमन का गेट नही खोलने के कारण उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है।

अन्त में गैर निगरानीकार संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में गैरनिगरानीकार संख्या 2 सरपंच ग्राम पंचायत हरसोली ने जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि ग्राम पंचायत हरसोली में दिनांक 21/08/2012 को कोरम के समक्ष जगदीश सिहं पुत्र लखू सिंह का पट्टा आवेदन कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा कोरम द्वारा पट्टा मिसल तैयार कर आगामी बैठक में पेश करने हेतु निर्णय लिया गया तथा दिनांक 05/09/2012 को उक्त मिसल के सम्बंध में वार्ड पंच कमेटी का गठन किया गया। इसके पश्चात दिनांक 06/02/2013 को कोरम के द्वारा सर्वसम्मति से जगदीश सिंह पुत्र लखू सिंह निवासी बारेठों की ढाणी, किशनपुरा के नाम से पचांयती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत राशि 225 रुपये पंचायत के निजी कोष में जमा कर 722.11 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20/09/2012 को एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20/09/2012 को एक माह का आपत्ति नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया तथा नोटिस जारी किया गया। पूर्व में अपीलाधीन भूमि पर गेट नहीं था। ग्रा0 पं0 की बैठक दिनांक 06/02/2013 के प्रस्ताव सं0 1 में बाद विचार विमर्श एवं सर्वसम्त राय/निर्णय के अनुसार प्रार्थी को पट्टा दिया गया। वक्त निर्णय उपरोक्त स्थल पर कोई गेट नहीं था। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) का उल्लंघन हुआ है। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 140, 145, 146, 147, 148 में विनिर्दिष्ट प्रकिया ग्राम पंचायत द्वारा पालना की गई है जबकि विहित प्रकिया में नियम 157(2) लागू नहीं होती है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टे की प्रति मांगी गई थी लेकिन पट्टा व्यक्तिगत दस्तावेज होने के कारण पटटाधारी की अनुमति नहीं होने के कारण पट्टे की प्रति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी गई एवं पट्टे संबधि ग्राम पंचायत की कार्यवाही व पत्रावली की प्रति उपलब्ध करवा दी गई थी।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि गैर निगरानीकार सं0 1 ने ग्राम पंचायत हरसोली के प्रस्ताव संख्या 1 में मिथ्या जानकारी देते हुए सार्वजनिक आम चौक की भूमि को स्वयं की कब्जेशुदा भूमि बताकर पंचायत से 722.11 वर्ग गज का पट्टा स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया जबकि उसका सार्वजनिक चौक की भूमि पर कोई अधिकार नही है। पंचायती राज अधिनियम के 157(1) के अंतर्गत अधिकतम 300 वर्गगज तथा नियम 158 के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 150 वर्गगज तक का ही पट्टा दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने उक्त पंचायती नियमों की पालना नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निगरानीधीन पट्टा जारी कर दिया। पट्टा देने से पूर्व पंचायती नियमों की अवहेलना की गई, पंचों की रिपोर्ट, नोटिस, मौका जांच नहीं की गई तथा प्रस्ताव संख्या 1 में आपत्ति नहीं मांगी गयी। सार्वजनिक हित की भूमि में व्यक्ति विशेष को पट्टा जारी कर दिया। इस भूमि के पश्चिम में निगरानीकार की भूमि में जाने हेतु गेट लगा हुआ है जो सार्वजनिक चौक में खुलता है। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(1) का उल्लंघन कर पट्टा जारी होने के तथ्या को स्वीकार किया है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 722.11 वर्गगज का पट्टा जारी करने तथा निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज अधिनियम के निर्दिष्ट नियमों की अवहेलना में जारी होने के कारण निगरानीकार की निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन पट्टा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता निगरानीकार ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RLR 2000(2) page 39, 2009(2) DNJ page 982 & 1060 पेश किए हैं।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि गैरनिगरानीकार द्वारा आबादी भूमि में पट्टे हेतु दिनांक 05/03/2012 को आवेदन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21/08/2012 को पंचायत कोरम में आवेदन पर विधि अनुसार कार्यवाही

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

करने हेतु निर्णय लिया गया तथा वार्ड पंच कमेटी का गठन कर निगरानीधीन पट्टा किया गया है। गैरनिगरानीकार का विवादित भूमि पर लंबे अरसे से कब्जा रहा है। कब्जे के आधार पर पट्टे हेतु आवेदन करने पर पंचायत द्वारा एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर प्रार्थी को पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) की पालना में पट्टा प्रदान किया गया है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है। निगरानीकार हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। यदि निगरानीकार व्यथित हैं तो धारा 61 में नियमानुसार पंचायत में अपील पेश करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त निगरानीकार द्वारा निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। निगरानी मीमो के मद सं0 10 में निगरानीकार ने पट्टे की जानकारी होना दिनांक 09.02.2022 को बताया है। नकल प्राप्ति के बाद भी निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति के आधार पर निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई। निगरानी मेंटनेबल नहीं है। छल कपट के आधार पर जारी आदेश पर मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता जबकि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज अधिनियम में उल्लेखित नियमों की पालना में नियमानुसार सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया उपरान्त विधि सम्मत पट्टा जारी किया है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज की जावे।

गैर निगरानीकार अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2018-19 (Supp.) page 125, 2016(1) CT (Raj.) page 160 पेश किए हैं।

उक्त बहस के जवाब में अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि पंचायती राज नियम में निगरानी प्रस्तुतीकरण पर मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। आर.टी.आई में निगरानीधीन पट्टे की नकल हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत हरसोली ने तीसरे पक्षकार को नकल दिये जाने का प्रावधान नहीं होने का अंकन कर नकल प्रदान नहीं की। अतः निगरानीधीन पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने कारण खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। निगरानी ग्राम पंचायत हरसोली के प्रस्ताव संख्या 1 की पालना में जारी पट्टा सं0 5 दिनांक 06/02/2013 के विरुद्ध पेश की गई है। निगरानीधीन पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत ने अपने जवाब में अंकित किया है कि पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) का उल्लंघन हुआ है। पंचायती राज अधिनियम के 157–158 के अंतर्गत अधिकतम 300 वर्गगज तक का ही पट्टा दिया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना करते हुए अपने क्षेत्राधिकार की सीमा से ज्यादा 722.11 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया। जो उक्त नियमों का उल्लंघन है।

पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पट्टा जारी किया गया है, जो प्रारम्भ से ही पंचायती राज अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियमों की अवहेलना करने के कारण अवैध व शून्य है। पंचायत राज अधिनियम अधिनियम की धारा 97 में परिसीमा हेतु प्रावधान नहीं हैं। साथ ही अवैध एवं शून्य आदेशों पर मियाद का बिन्दु प्रभावी नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत हरसोली द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 की पालना में जारी निगरानीधीन पट्टा सं0 5 दिनांक 06/02/2013 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर

(कुन्दन विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।